पाया है।

जनजातियों में अधिमान्य विवाह
(PREFERENTIAL MARRIAGES AMONG TRIBES)

जनजातियों में विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि इसे दो परिवारों अथवा कुछ परिवारों के स्थायी साधन का माध्यम समझा जाता है। इस प्रकार जनजातियों में विवाह की कुछ ऐसी प्रथाएँ विकसित हो गयी हैं जिससे कुछ परिवार विवाह के आधार पर सदैव एक-दूसरे के सहयोगी बने रहें। इन विवाहों से कन्या-मूल्य की समस्या का भी समाधान हो जाता है और एक विशेष क्षेत्र के अन्दर ही जीवन-साथी भी सरलता से उपलब्ध हो सकता है। इस आधार पर अनेक जनजातियाँ कुछ विशेष परिवारों के अन्दर ही विवाह करने की प्राथमिकता देकर उन्हें अधिमान्य विवाह (preferential marriage) की श्रेणी में रखती हैं। अधिमान्य विवाह को प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभाजित करके समझा जा सकता है :

(1) **ममेरे और फुफेरे भाई-बहिनों का विवाह** (Cross Cousin Marriage)

इस प्रकार के विवाह भारतीय जनजातियों में प्रचुरता के साथ प्रचलित हैं। कुछ जनजातियाँ तो ऐसे विवाहों को आवश्यक समझती हैं और किसी कारण यदि इस क्षेत्र के अन्दर ही विवाह नहीं किया जाता तब आनाकानी करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए कुछ हर्जाना भी देना होता है। इस प्रथा में विवाह के क्षेत्र को अग्र चित्र से समझा जा सकता है।

अग्र चित्र से स्पष्ट होता है कि एक परिवार के बच्चों का विवाह अपनी माँ के भाई के बच्चों अथवा अपने पिता की बहिन के बच्चों के साथ करना जनजातियों में सबसे अच्छा समझा जाता है। ऐसे विवाहों का एक गुण यह है कि इससे वर और वधू का गोत्र भी एक-दूसरे

---

1 ... *World*, p. 308.

से भिन्न बना रहता है और उनको एक ही क्षेत्र में रहने का पूर्ण अवसर भी मिल जाता है। भारत की गोंड, खरिया, खस, कादर और ओराँव जनजाति ऐसे विवाहों को अपने सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग समझती रही हैं। वे ऐसे विवाह को 'दूध लौटावा' कहती हैं।

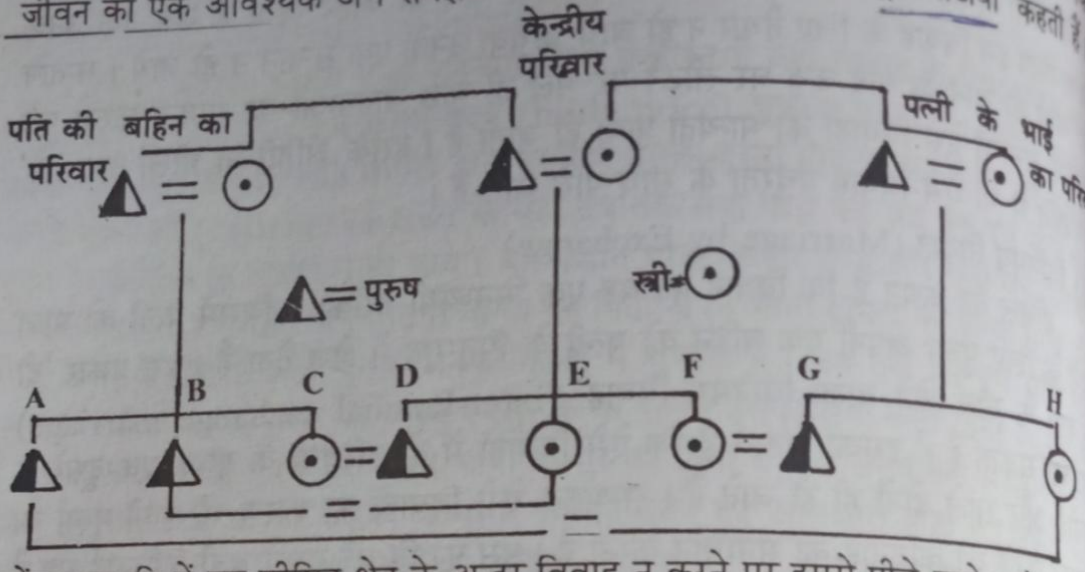

गोंड जनजाति में इस सीमित क्षेत्र के अन्दर विवाह न करने पर इससे पीछे हटने वाले पक्ष को हर्जाना देना पड़ता है। खस जनजाति में ऐसे विवाहों का अपवाद तभी मिलता है जब वर के पिता की मृत्यु हो चुकी हो।

(2) **मौसेरे-चचेरे भाई-बहिनों का विवाह** (Parallel Cousin Marriage)

जनजातियों में माता और पिता के समानान्तर पक्ष में भी विवाह करने की प्रथा को अधिमान्यता दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि पिता के समानान्तर चाचा और ताऊ तथा माता के समानान्तर मौसी के बच्चों के बीच भी विवाह सम्बन्ध स्थापित होते हैं। जनजातियों में यदि परिवार की वंश परम्परा माता के नाम पर चलती है तब ऐसे विवाह केवल पितृ पक्ष से सम्बन्धित परिवारों के बीच होते हैं, जबकि वंश अथवा गोत्र का नाम पिता-पक्ष से सम्बन्धित होने पर केवल मातृ-पक्ष की ओर से ही विवाह सम्बन्ध स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है। भारत का जनजातीय समाज गोत्र बहिर्विवाह (clan exogamy) के प्रति अत्यधिक जागरूक है और इसीलिए ऐसे विवाहों का प्रचलन भारतीय जनजातियों में बहुत कम देखने को मिलता है।

(3) **साली और भाभी विवाह** (Sororate and Levirate Marriage)

भारत की बहुत-सी जनजातियों में साली और भाभी विवाह को अधिमान्यता की श्रेणी में रखा जाता है। यदि कोई जनजाति एक-विवाही है तब पुरुष को अपनी मृत पत्नी की बहिन से विवाह करने को प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि ऐसा नैतिक रूप से भी उचित है, लेकिन कुछ जनजातियों में एक बार कन्या का मूल्य ले लेने पर लड़की के पिता का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि उस लड़की की मृत्यु हो जाने पर उसके पति को वह अपनी दूसरी कन्या पत्नी के रूप में दे दे। ऐसी प्रथा गोंड जनजाति में विशेष रूप से पायी जाती है। जिन जनजातियों में कन्या-मूल्य प्रचलित है वहाँ किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर उसके छोटे अथवा बड़े भाई अपनी विधवा भाभी से विवाह कर लेते हैं। ऐसा इस कारण है कि जिस स्त्री को परिवार में लाने के लिए उन्हें कन्या-मूल्य देना पड़ा है, उसको परिवार से किसी प्रकार भी पृथक् करना उचित नहीं समझा जाता। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति में भाभी-विवाह का बहुत

अधिक प्रचलन है। ऐसे विवाह स्त्री की पारिवारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तम कहे जा सकते हैं।

बहुपत्नी विवाही जनजातियों में पुरुष जिन अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, यदि वे सभी आपस में बहिनें हों तो विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। बहुपति विवाही जनजातियों में अधिकतर दो अथवा तीन बहिनें मिलकर चार-पाँच युवकों से विवाह कर लेती हैं। बहुपति विवाह जनजातियों में भाभी-विवाह की प्रथा का उल्लेख हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं। इन सभी अधिमान्यताओं से इस कथन की पुष्टि होती है कि ऐसे विवाहों का प्रमुख कारण (क) विवाह से सम्बन्धित दो परिवारों में आपसी कर्तव्य बोध की भावना, और (ख) जनजातियों में कन्या-मूल्य का प्रचलन होने की प्रथा है।

परिवार का अर्थ तथा परिभाषाएँ
(MEANING AND DEFINITIONS OF FAMILY)

सम्भवतः कोई भी विद्वान ऐसा नहीं है जिसने परिवार की व्याख्या करने का प्रयत्न न किया हो। सभी विद्वानों ने परिवार के आकार, उद्देश्यों तथा कार्यों के आधार पर इसे भिन्न-भिन्न रूप से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने बड़े और जटिल समाजों को ध्यान में रखते हुए परिवार को परिभाषित किया है जबकि अनेक विद्वानों ने आदिम और सरल समाजों के सन्दर्भ में परिवार की परिभाषा प्रस्तुत की है। यदि हम शाब्दिक दृष्टिकोण से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि 'परिवार' अथवा '*Family*' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द '*Famulus*' से हुई है। '*Famulus*' का अर्थ होता है 'सेवक' अथवा 'सेवा करने वाला'। इस दृष्टिकोण से परिवार को उन व्यक्तियों का सबसे छोटा समूह कहा जा सकता है जो रक्त-सम्बन्धों और सेवा की भावना द्वारा एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परिवार विवाह, रक्त सम्बन्धों अथवा नातेदारी से बँधे हुए व्यक्तियों का वह संगठन है जिसमें वैयक्तिक, प्राथमिक और स्थायी सम्बन्धों द्वारा सदस्य एक-दूसरे के प्रति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करते हैं। अनेक विद्वानों ने परिवार को निम्न रूप से परिभाषित किया है :

आगबर्न तथा निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार, "परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पति-पत्नी अथवा किसी पुरुष या स्त्री में से एक के ही साथ रहने वाले बच्चों का एक बहुत कुछ स्थायी संघ है।"[1] इस परिभाषा में ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने परिवार के आकार और संगठनात्मक पहलू को स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी दम्पत्ति के सन्तान न हो अथवा पति-पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति बच्चों के साथ एक स्थान पर निवास करता हो तो इतने छोटे समूह को भी परिवार कहा जा सकता है।

मैकाइवर तथा पेज (MacIver and Page) के शब्दों में, "परिवार उस समूह का नाम है जो यौन-सम्बन्धों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और प्रभावपूर्ण है जो बच्चों के जन्म और पालन-पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है।"[2] इस परिभाषा में परिवार को एक संस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसका तात्पर्य है कि परिवार को उसके आकार के आधार पर नहीं बल्कि कुछ विशेष कार्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

अनेक विद्वानों ने मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार को परिभाषित किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :

रिवर्स के शब्दों में, "परिवार का तात्पर्य एक छोटे सामाजिक समूह से होता है जिसमें

---

1. "Family is a group of husband and wife with or without

माता-पिता तथा उनके बच्चे सम्मिलित हों।"[1] इसका तात्पर्य है कि परिवार का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो मुख्यतः एक-दूसरे के रक्त सम्बन्धी होते हैं।

बर्गेस तथा लॉक (Burgess and Locke) के अनुसार, "परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के सम्बन्धों द्वारा बँधे होते हैं, एक छोटी-सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा जिसके सदस्य पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई तथा बहिन के रूप में एक-दूसरे से अन्तार्क्रियाएँ करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करके उसकी देख-रेख करते हैं।"[2]

किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) ने लिखा है, "परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जिनमें सगोत्रता के सम्बन्ध होते हैं और जो इस प्रकार एक-दूसरे के रक्त सम्बन्धी होते हैं।"[3]

वास्तविकता यह है कि जनजातीय समाजों (tribal societies) के सन्दर्भ में बर्गेस और लॉक द्वारा दी गयी परिवार की परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि जनजातीय समाजों में एक परिवार का निर्माण केवल पति-पत्नी और उनके बच्चों से ही नहीं होता बल्कि इसमें विवाह और रक्त जैसे दोनों पक्षों से सम्बन्धित सदस्यों का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त जनजातीय परिवार अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को स्थायी बनाये रखने के लिए विशेष रूप से जागरूक रहते हैं। इन समाजों में यौनिक सम्बन्ध कुछ ढीले होने के कारण परिवार को यौन-सम्बन्धों के आधार पर उस प्रकार परिभाषित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार मैकाइवर ने इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है।